

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5321  
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

**खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता**

**5321. श्री मलविंदर सिंह कंग:**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब में कितनी इकाइयों को वित्तीय सहायता दी गई है; और
- (घ) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ख):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पंजाब सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संवर्धन एवं समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित करता है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूँजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है।

इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ग) और (घ):** एमओएफपीआई ने अभी तक पीएमकेएसवाई की संबंधित योजनाओं के तहत पंजाब में कुल 3 मेगा फूड पार्कों, 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों, 24 एकीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं, 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों 4 बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिङ्केजेज़ के सृजनों और 1 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं का अनुमोदन किया है जिससे लगभग 2.58 लाख किसानों को लाभ मिलने तथा लगभग 29000 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। पंजाब में पीएमएफएमई योजना के तहत कुल 2,606 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई जिससे 7,818 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है। पंजाब में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे 2,446 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा का अनुमान है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु “अमृतसर को विशेष अनुदान” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5321 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

**प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन**

| क्र. सं. | घटक योजना  | सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)   | दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)  |
|----------|--|---|--|
| 1.       | एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना                  | पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]  | पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]   |
| 2.       | खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार         | पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]   | पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]  |
| 3.       | कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना                      | सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]  | पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]  |
| 4.       | ऑपरेशन ग्रीन्स   | एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडेलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी। | एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडेलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी। |
| 5.       | खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ | सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता<br><br>निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।   | निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता।  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 6. मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास | सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50% की दर से अनुदान। | सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान। |
|--|---|--|---|

### पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत उपलब्ध सहायता

- i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है, तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
- ii. श्रेणी-III, अर्थात् ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

### पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

- (i) **व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:** पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंकड पूँजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;
- (ii) **बीज पूँजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:** कार्यशील पूँजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से बीज पूँजी दी जाएगी, जो कि स्वयं सहायता समूहों के संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।
- (iii) **सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:** एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूँजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।
- (iv) **ब्रांडिंग और विपणन सहायता:** एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।
- (v) **क्षमता निर्माण:** इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

\*\*\*\*\*